

संस्कृति मंत्रालय
परिणाम बजट - 2012-13
अध्याय - I

प्रस्तावना

संस्कृति, किसी भी राष्ट्र के विकास कार्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। प्रथमतः यह वृहत रोजगार अवसरों के माध्यम से आर्थिक विकास में अत्यधिक योगदान देती है। द्वितीयतः, यह स्वयं आर्थिक प्रगति के एक लक्ष्य के रूप में जीवन की गुणवत्ता और सार्थक अस्तित्व के संदर्भ में लक्ष्य प्रदान करती है। संस्कृति और रचनात्मकता सर्वाधिक आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को स्वतः प्रकट करती है। संस्कृति के विकास को आर्थिक विकास के एक उत्प्रेरक के रूप में देखा जाना चाहिए। अतः संस्कृति को किसी विशिष्ट सृजनात्मक क्षेत्र की सीमाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। तथापि, यह पहचाना जा सकता है कि कतिपय ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ संस्कृति और सृजनात्मकता की उपस्थिति और योगदान अपेक्षाकृत अधिक प्रधान और स्पष्ट है। संस्कृति के तत्वों में मीडिया, फिल्में, संगीत, हस्तकला, दृश्य कलाएँ, मंच कलाएँ, साहित्य, विरासत प्रबंधन, सांस्कृतिक और सृजनात्मक उद्योग और सेवाएं इत्यादि शामिल हैं। सांस्कृतिक विकास में अन्य बातों के साथ मूर्त और अमूर्त संस्कृति दोनों के क्षेत्र शामिल हैं। मंत्रालय का कार्यात्मक स्पेक्ट्रम अपेक्षाकृत व्यापक है, जिसमें बुनियादी स्तर पर सांस्कृतिक जागरूकता उत्पन्न करने से लेकर अन्तरराष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना शामिल है।

मंत्रालय के अधिदेश और लक्ष्य

संस्कृति मंत्रालय के अधिदेश प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के परिरक्षण और संरक्षण और देश में मूर्त तथा अमूर्त दोनों कला और संस्कृति के संवर्धन जैसे कार्यों के इर्द-गिर्द घूमते हैं। उपर्युक्त अधिदेश को पूर्ण करने के लिए, संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित कार्यकलाप करता है:

- देश की विरासत, प्राचीन स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों का अनुरक्षण और संरक्षण;
- साहित्यिक, दृश्य और मंच कलाओं का संवर्धन;
- पुस्तकालयों, संग्रहालयों और मानव-विज्ञान की संस्थाओं का प्रशासन;
- अभिलेखीय रिकॉर्डों और अभिलेखीय पुस्तकालयों का रख-रखाव, परिरक्षण और संरक्षण;
- सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में अनुसंधान और विकास;
- महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हस्तियों और घटनाओं की शताब्दी और वर्षगाँठ मनाना;
- बौद्ध और तिब्बती अध्ययनों के संस्थानों और संगठनों का संवर्धन;
- कला और संस्कृति के क्षेत्र में संस्थागत और व्यक्तिगत पहलों का संवर्धन; और
- विदेशों के साथ सांस्कृतिक करार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान करना और उनका कार्यान्वयन करना।

प्रशासनिक ढाँचा

मंत्रालय के प्रशासनिक ढाँचे में सचिव की अध्यक्षता में विभिन्न ब्यूरो तथा प्रभाग हैं। इसके दो संबद्ध कार्यालय, छः अधीनस्थ कार्यालय और 33 स्वायत्त संगठन हैं, जिनका वित्त पोषण पूर्णतया सरकार द्वारा किया जाता है। इनके आलावा इसके अंतर्गत दो मिशन नामतः राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन और राष्ट्रीय प्राचीन स्मारक एवं पुरावेशे मिशन हैं। भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु कार्यक्रमों के अतिरिक्त मंत्रालय, विविध समकालीन सृजनात्मक कलाओं को प्रोत्साहित करने तथा उनका प्रसार करने में भी लगा हुआ है। मंत्रालय का बुनियादी उद्देश्य ऐसे तरीकों और साधनों का विकास करना रहा है, जिससे लोगों की बुनियादी सांस्कृतिक और सौंदर्यशास्त्रीय संवेदनाओं को दृढ़ किया जा सके और उन्हें सक्रिय और गतिशील रखा जा सके।

संस्कृति मंत्रालय के अधीन मुख्य कार्यालय तथा संस्थाएँ निम्नलिखित हैं :

संबद्ध कार्यालय

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, नई दिल्ली
- भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

अधीनस्थ कार्यालय

- भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण, कोलकाता
- राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता
- केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय, कोलकाता
- राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ

स्वायत्त संगठन

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, भोपाल
- राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता
- नेहरू स्मारक संग्रहालय और पुस्तकालय, नई दिल्ली
- संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली
- साहित्य अकादमी, नई दिल्ली
- ललित कला अकादमी, नई दिल्ली
- राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नई दिल्ली
- सांस्कृतिक स्रोत और प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
- गांधी स्मृति और दर्शन समिति, नई दिल्ली
- इलाहाबाद संग्रहालय, इलाहाबाद

- दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, नई दिल्ली
- राजा राममोहन रॉय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कोलकाता
- केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह
- केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी
- विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, कोलकाता
- भारतीय संग्रहालय, कोलकाता
- एशियाटिक सोसाइटी, कोलकाता
- सालारजंग संग्रहालय, हैदराबाद
- खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना
- रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर
- कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान, चेन्नै
- राष्ट्रीय कला इतिहास संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली
- नव नालंदा महाविहार, नालंदा
- मौलाना अबुल कलाम आजाद एशियाई अध्ययन संस्थान, कोलकाता
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, नई दिल्ली
- पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, कोलकाता
- उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, इलाहाबाद
- उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, दीमापुर
- उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, पटियाला

- दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर
- दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, तंजावुर
- पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, उदयपुर
- राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ)

1. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ए एस आई) : भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना, देश के पुरातत्व-विषयक अवशेषों के सर्वेक्षण तथा उनके अध्ययन के मूल उद्देश्य के साथ वर्ष 1861 में की गई थी। अपनी स्थापना के समय से ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एक बड़े संगठन में विकसित हो चुका है, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्य कार्य केंद्रीय रूप से संरक्षित स्मारकों का संरक्षण, परिरक्षण व रख-रखाव करना है। विशेष किस्म की मरम्मत और रोजमर्रा का रख-रखाव, लेह स्थित एक लघु सर्किल के अलावा देश के विभिन्न भागों में स्थित 24 सर्किल कार्यालयों द्वारा किया जाता है। 6 उत्खनन शाखाओं, मंदिर सर्वेक्षण (चेन्नई और भोपाल) तथा भवन सर्वेक्षण परियोजनाएं, नई दिल्ली के अलावा पुरालेखन शास्त्र (मैसूर में संस्कृत और द्रविड़ तथा नागपुर में अरबी और पर्सियन), विज्ञान और बागवानी शाखाएं अन्य प्रमुख संगठन हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास 3676 केन्द्रीकृत संरक्षित स्मारक और पुरातात्विक स्थल महापाषाण कब्रें, शैल गुफाएं, स्तूप, मंदिर, मस्जिद, चर्च, किले, जल प्रणालियां, स्तंभ, शिलालेख, कला नक्काशी, विशालकाय प्रतिमाएं, मूर्तियां आदि हैं। स्मारक का संरक्षण एक सतत प्रक्रिया है और सर्किलों, रसायन व बागवानी शाखाओं द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने प्राथमिकताओं, वचनबद्धताओं तथा उपलब्ध मानव संसाधन व वित्तीय संसाधनों के आधार पर ढांचागत संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण व बागवानी कार्यों के लिए लगभग 1700 स्कीमें (कार्य) शुरू की हैं। उपर्युक्त कारकों को ध्यान में रखकर वार्षिक कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं और इन्हें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के सर्किलों, रसायन व बागवानी शाखाओं द्वारा निष्पादित किया जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के संरक्षण के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के अलावा 20 विश्व विरासत स्थल हैं। विश्व विरासत स्थलों तथा टिकट से प्रवेश वाले स्मारकों में पर्यटकों के लिए सुख-सुविधाओं की व्यवस्था पर भी बल दिया जाता है।

जापान बैंक ऑफ इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन (जीबीआईसी) से ऋण लेकर “अंजता-एलोरा का संरक्षण और पर्यटन विकास परियोजना” के पहले चरण के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद दूसरे चरण के कार्य शुरू किए गए हैं और चल रहे हैं। 37.68 करोड़ रु. के परिव्यय दूसरे चरण में अजन्ता, एलोरा, पीतलखेरा एवं औरंगाबाद गुफाएं, दौलताबाद किला, बीबी का मकबरा, पटनादेवी मंदिर और लोनार मंदिर समूह के व्यापक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण और समग्र पर्यावरणीय समेकित विकास के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। मार्च, 2012 तक ए एस आई ने उक्त परियोजना पर 25.35 करोड़ रु. व्यय किया है तथा वर्ष 2012-13 के दौरान 5 करोड़ रु. का प्रावधान किया है।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने फील्ड सीजन 2010-2011 के दौरान अपने फील्ड कार्यालयों के लिए 18 उत्खनन व 20 अन्वेषण प्रस्ताव मंजूर किए हैं, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 2 केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों सहित 7 नई स्कीमों के कार्यान्वयन का प्रस्ताव किया है।

राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण : केंद्र सरकार ने दिनांक 29.3.2010 के भारत के राजपत्र के जरिए प्राचीन स्मारक और पुरातत्वीय स्थल एवं अवशेष (संशोधन और विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2010 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम में 'राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण' के गठन का प्रावधान है, जिसका एक अध्यक्ष और पुरातत्व, शहरी एवं नगर आयोजना, वास्तु शिल्प, विरासत, संरक्षण वास्तुशिल्प या विधि के क्षेत्रों के 5 पूर्ण कालिक सदस्य और 5 अंशकालिक सदस्य होंगे।

- 2. भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार** : भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार के मंत्रालयों तथा विभागों से संबंधित स्थायी महत्व के पुराने अभिलेखों का एक वृहत केन्द्रीय भण्डार है। यह प्रख्यात भारतीयों के निजी दस्तावेजों तथा विदेशों से भारतीय हितों के अभिलेखों की माइक्रोफिल्म प्रतिलिपियों का अधिग्रहण तथा परिरक्षण भी करता है। अभिलेखागार ऐतिहासिक अनुसंधान हेतु सुविधाएं प्रदान करता है तथा अभिलेखीय अध्ययन स्कूल के माध्यम से, जो इस विषय में अनेक पाठ्यक्रम चलाता है, वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुरूप अभिलेखीय अध्ययनों का संवर्धन करता है। भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है तथा जयपुर, पाण्डिचेरी और भुवनेश्वर में इसके अभिलेख केन्द्र हैं।

अधीनस्थ कार्यालय

- 1. भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण** : भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण की स्थापना 1945 में की गई थी। यह भारतीय जनसंख्या के संबंध में जैव-सांस्कृतिक जाँच करता है, भारत के लोगों के बारे में वैज्ञानिक रुचि के दस्तावेजों को संग्रह और संरक्षित करता है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, अपने पुरातत्वीय अनुसंधान के माध्यम से देश की जैव, सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत में सहयोग करता है। वर्तमान में, भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण विश्वभर में हो रहे प्रौद्योगिकीय नवीकरणों का देश में मानव कल्याण हेतु लाभ उठाने के उद्देश्य से इन नवीकरणों को अपनाने तथा बुनियादी ढाँचा विकसित करने के लिए पुनः अनुकूलन की स्थिति में है।
- 2. राष्ट्रीय संग्रहालय** : यह 1949 में स्थापित देश में प्रमुख संग्रहालयों में से एक है। संग्रहालय के मुख्य कार्यकलाप हैं : (i) कला और संस्कृति पर प्रकाशन निकालना (ii) कला वस्तुओं का अधिग्रहण और संरक्षण (iii) प्रदर्शनियों का आयोजन ; (iv) भारतीय मूर्तियों तथा कांस्य वस्तुओं की उत्कृष्ट कृतियों की प्रतिलिपियों का निर्माण; (v) दृश्य-श्रव्य तथा अन्य शैक्षिक कार्यकलाप; (vi) रिप्रोग्राफी केन्द्र की स्थापना। वर्तमान में संग्रहालय के संकलन में मानव अस्तित्व के प्रागैतिहासिक समय से लेकर उत्कृष्ट कला की 2.06 लाख से अधिक वस्तुएं शामिल हैं। संग्रहालय में 31 वीथियां हैं।

3. **राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय, नई दिल्ली** : 1954 में स्थापित राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय (एनजीएमए) एक ऐसा अद्वितीय संस्थान है जो पिछली शताब्दी से भारत में दृश्य कलाओं में हुए विकास तथा सचित्र रूपान्तरण को प्रस्तुत करता है। एन जी एम ए के मुख्य उद्देश्य सामान्यतया दृश्य तथा प्लास्टिक कलाओं के प्रति भारतीय लोगों में समझबूझ तथा संवेदनशीलता पैदा करना और विशेषतः समकालीन भारतीय कला के विकास को बढ़ावा देना है। मुख्यतः खरीद और उपहार के माध्यम से निर्मित एन जी एम ए के संग्रह में 1857 के काल के 17,815 चित्र, मूर्तियाँ, रेखाचित्र तथा फोटोग्राफ हैं और यह समग्र देश से 1742 समकालीन कलाकारों की कृतियाँ प्रस्तुत करता है। यह संग्रहालय जहांगीर पब्लिक हॉल, मुम्बई में और बेंगलुरु में कार्यात्मक शाखा चलाता है। बेंगलुरु शाखा को हाल ही में चालू किया गया है। सी पी डब्ल्यू डी द्वारा एन जी एम ए, नई दिल्ली के नए स्कन्ध का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है और यह वर्ष 2008-09 से चालू है।
4. **राष्ट्रीय पुस्तकालय, कोलकाता** : राष्ट्रीय पुस्तकालय की स्थापना, इंपीरियल पुस्तकालय अधिनियम, 1948 के पारित होने के साथ वर्ष 1948 में की गई थी। राष्ट्रीय पुस्तकालय को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा प्राप्त है। यह सभी महत्वपूर्ण मुद्रित सामग्री के अर्जन और संरक्षण कार्य में कार्यरत है। पुस्तकालय राष्ट्रीय महत्व की पांडुलिपियों के संरक्षण का भी कार्य करता है। यह संदर्भ केन्द्र के रूप में कार्य करता है जो ग्रंथसूचीय सूचना के सभी संसाधनों का पूर्ण और सटीक ज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथसूचीय कार्यकलापों में भागीदारी का प्रबंध करता है। इसमें पारसी, संस्कृत, अरबी तथा तमिल पाण्डुलिपियों और दुर्लभ पुस्तकों का एक समृद्ध संग्रह है। यह पुस्तक एवं समाचार-पत्र (सार्वजनिक पुस्तकालय) वितरण अधिनियम, 1954 के तहत एक प्रापक पुस्तकालय तथा दक्षिण एशिया में एक भण्डार पुस्तकालय है।
5. **केंद्रीय संदर्भ पुस्तकालय (सी आर एल)** : सी आर एल, कोलकाता (क) भारतीय राष्ट्रीय बिबलियोग्राफी, जो भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में मौजूदा भारतीय प्रकाशनों की बिबलियोग्राफी है, के संकलन तथा प्रकाशन; (ख) इंडेक्स इंडियाना (रोमन लिपि) और महत्वपूर्ण भाषाओं में वर्तमान भारतीय पत्रिकाओं में छपने वाले लेखों की इंडेक्स के संकलन और प्रकाशन के कार्य में लगा हुआ है।
6. **राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला, लखनऊ** : राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधान प्रयोगशाला (एनआरएलसी) संस्कृति मंत्रालय का अधीनस्थ कार्यालय है और इसे भारत सरकार की एक वैज्ञानिक संस्था माना जाता है। एन आर एल सी के लक्ष्य और उद्देश्य सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में देश के विभिन्न सांस्कृतिक संस्थानों की क्षमता का विकास करना और संग्रहालयों, अभिलेखागारों, पुरातत्व विभागों और अन्य समान संस्थानों को संरक्षण सेवाएँ प्रदान करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एन आर एल सी संरक्षण में प्रशिक्षण प्रदान करती है, संरक्षण की सामग्रियों और प्रणालियों में शोध करती है, संरक्षण में ज्ञान का प्रसार करती है, संरक्षकों को पुस्तकालय सेवा प्रदान करती है और सांस्कृतिक संपदा के संरक्षण में तकनीकी सलाह भी प्रदान करती है।

स्वायत्त संगठन

1. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, (आई जी आर एम एस), भोपाल** : आई जी आर एम एस, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। इस संग्रहालय की परिकल्पना एक ऐसे बढ़ते आंदोलन के रूप में की गई है जो समय और स्थान में मानव जाति के इतिहास को चित्रित करता है जिसमें भारत के विशेष संदर्भ में मानव जैविक तथा सांस्कृतिक विकास का प्रसार किया गया है। साथ ही यह संग्रहालय देश की संस्कृतियों के विविध रूपों तथा सामुदायिक ज्ञान प्रणाली के साथ इसके जीवंत संग्रहालय को सुदृढ़ करने में भी लगा है। इसको, एक सांस्कृतिक शाखा के रूप में सामान्य मानव विज्ञान के दायरे में, विकसित किया जा रहा है और (1) गहन वीथियों वाले इन्डोर संग्रहालय (2) आउटडोर परिसर स्थायी मुक्ताकाश प्रदर्शनी स्थापित करके यह अपने उद्देश्य प्राप्त करने के प्रयासों में लगा है। ये दोनों कार्यकलाप अनवरत प्रकार के हैं।

2. **राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद (एन सी एस एम)** : एन सी एस एम, जो विज्ञान संचार के क्षेत्र में एक प्रमुख संस्थान है, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन है। प्राथमिक रूप से विज्ञान और प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने और विज्ञान केन्द्रों के नेटवर्क के जरिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति लोगों में समझ और सम्मान को बढ़ाने और आमजन और खासकर छात्रों के लिए चल विज्ञान प्रदर्शनी (एम सी ई) इकाइयों के अधिक कार्यकलाप में संलग्न एन सी एस एम अब राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर विज्ञान संचार के क्षेत्र में प्रवृत्ति सेटर बन गया है। वर्तमान में एन सी एस एम देशभर में फैले 27 विज्ञान केन्द्रों/संग्रहालयों को प्रशासित एवं प्रबंधित करता है और विज्ञान केन्द्रों तथा संग्रहालयों का दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो एक प्रशासनिक छत्र के अधीन काम करता है। एन सी एस एम ने पोर्ट ब्लेयर, कलिमपोंग में विज्ञान केन्द्र, दिल्ली में राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय, अमृतसर में महाराजा रणजीत सिंह पेनोरमा संग्रहालय, कुरुक्षेत्र में कल्पना चावला स्मारक तारामंडल, देहरादून में ओ एन जी सी स्वर्ण जयन्ती संग्रहालय की स्थापना की है तथा इसे संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों/संगठनों को सौंप दिया गया है। 11वीं योजना अवधि में एन सी एस एम ने अप्रतिनिधित्व क्षेत्रों में अनेक विज्ञान केन्द्र परियोजनाओं की स्थापना का कार्य शुरू करने का विचार किया है तथा अनेक पर योजना तैयार की जा रही है।

3. **नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय (एन एम एम एल), नई दिल्ली** : यह संग्रहालय पुस्तकों, समाचार-पत्रों, अप्रकाशित संदर्भों, निजी कागजों, फोटोग्राफों, फिल्मों के संग्रहण तथा पं. जवाहरलाल नेहरू, से संबंधित महत्वपूर्ण कागजों के अनुवाद का कार्य करता है। यह संस्थान आधुनिक भारत के राष्ट्रीय नेताओं के दस्तावेजों के परिरक्षण कार्य के लिए भी उत्तरदायी है। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के अंतर्गत हैं; (i) जवाहरलाल नेहरू के जीवन और समय पर व्यक्तिगत संग्रहालय (ii) आधुनिक भारत के इतिहास संबंधी पुस्तकों, पत्रिकाओं और फोटो का पुस्तकालय, (iii) पांडुलिपि प्रभाग, जो अप्रकाशित अभिलेखों का संग्रह है, तथा (iv)

रेप्रोग्राफी प्रभाग, मौखिक इतिहास प्रभाग और अनुसंधान एवं प्रकाशन प्रभाग। नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय के समकालीन अध्ययन केंद्र में शोध अध्येता हैं जो सामाजिक विज्ञान में उच्च अनुसंधान में कार्यरत हैं।

4. संगीत नाटक अकादमी (एस एन ए) : संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में मंच कलाओं के संवर्धन के लिए की गई थी। यह अकादमी, भारतीय संगीत, नृत्य एवं नाटक के संवर्धन; मंच कलाओं में प्रशिक्षण के मानकों के अनुरक्षण; संगीत, नृत्य और नाटक के विभिन्न रूपों से संबंधित सामग्रियों को पुनर्जीवित करने, उनका परिरक्षण, प्रलेखन तथा प्रसार करने और उत्कृष्ट कलाकारों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करती है। अकादमी मंच कलाओं से संबंधित कलावस्तुएं प्राप्त करती रही है तथा इसकी एक संगीत यंत्र दीर्घा है। संगीत नाटक अकादमी दो शिक्षण संस्थान - कथक केंद्र, नई दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, इंफाल चलाती है जो क्रमशः कथक नृत्य व संगीत तथा मणिपुरी नृत्य व संबद्ध कलाओं में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

5. साहित्य अकादमी, : साहित्य अकादमी की स्थापना भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त संगठन के रूप में वर्ष 1954 में की गई थी। यह साहित्यिक संवाद, प्रकाशन और संवर्धन के लिए देश में एक प्रमुख संस्थान है तथा देश में एकमात्र संस्थान है जो अंग्रेजी सहित बाइस भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यक्रम चलाता है। साहित्य अकादमी का मुख्य उद्देश्य भारतीय साहित्य का विकास; सभी भारतीय भाषाओं में कार्यक्रमों के पोषण तथा समन्वय हेतु उच्च साहित्यिक मानक निर्धारित करके उनके माध्यम से देश की सांस्कृतिक एकता का संवर्धन करना है।

6. ललित कला अकादमी (एल के ए) : ललित कला अकादमी (राष्ट्रीय कला अकादमी) की स्थापना भारत में दृश्य कलाओं के विकास एवं संवर्धन हेतु 1954 में एक शीर्ष सांस्कृतिक निकाय के रूप में की गई थी। गत 55 वर्षों में अपने अस्तित्व के समय से अकादमी ने भारत में दृश्य कलाओं के संवर्धन में अमूल्य योगदान दिया है। अकादमी सृजनात्मक दृश्य कलाओं, विशेषतः लोक, जनजातीय तथा समकालीन कलाओं के क्षेत्र में कार्यक्रमों के सम्पोषण तथा समन्वय के लिए एक राष्ट्रीय संगठन है। ललित कला अकादमी उभरते युवा कलाकारों को छात्रवृत्तियाँ प्रदान करने के अलावा दृश्य-कलाओं के संवर्धन हेतु प्रदर्शनियाँ, शिविर/ कार्यशालाएँ आयोजित करती है।

7. राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (एन एस डी) : इस विद्यालय की स्थापना 1959 में की गई थी। यह संस्थान नाट्य कलाओं में प्रशिक्षण देता है और देश में उनका प्रसार करता है। इस विद्यालय में प्रशिक्षण एक संपूर्ण, व्यापक और सतर्कता पूर्वक बनाए गए योजना पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें रंगमंच-सिद्धांत का प्रत्येक पहलू अभ्यास से संबंधित है और जिसमें प्रत्येक कार्य जनता के समक्ष अन्ततोगत्वा परीक्षण हेतु रखा जाता है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय विश्व में सबसे अग्रणी संस्थानों में एक तथा भारत में अपनी तरह का

एकमात्र रंगमंच प्रशिक्षण संस्थान है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की रंगमण्डली, इस विद्यालय का नियमित मंच स्कन्ध है जो देश के विभिन्न भागों का दौरा करती है और अपने लोकप्रिय नाटकों का देश के विभिन्न भागों में मंचन करती है।

8. सांस्कृतिक स्रोत एवं प्रशिक्षण केन्द्र (सी सी आर टी) : सी सी आर टी संस्कृति को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक स्वायत्त संगठन है। यह केन्द्र भारतीय शिक्षा प्रणाली को समृद्ध बनाने के लिए विशिष्ट उद्देश्य प्राप्त करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित करता है। सी सी आर टी भारत की क्षेत्रीय संस्कृतियों की बहुलता और ज्ञान को शिक्षा से जोड़ने के विषय में समझ और जागरूकता का सृजन करने में विभिन्न साधनों का उपयोग करता है।

9. गांधी स्मृति और दर्शन समिति (जी एस डी एस) : इसकी स्थापना सितंबर 1984 में की गई थी और यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय है। जी एस डी एस की स्थापना गाँधी स्मृति और दर्शन समिति परिसर के परिरक्षण, अनुरक्षण और रखरखाव जैसे बुनियादी उद्देश्यों और लक्ष्यों तथा विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करके महात्मा गाँधी के जीवन, मिशन और विचारों का प्रचार करने के लिए की गई थी। गांधी स्मृति एवं दर्शन समिति महात्मा गांधी पर प्रदर्शनियां आयोजित करती है और गांधी जी के जीवन और विचारधारा पर कार्यशालाएँ, सेमिनार तथा साहित्यिक कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

10. इलाहाबाद संग्रहालय : इलाहाबाद संग्रहालय, जिसे भारत सरकार द्वारा 1986 में अपने अधिकार में लिया गया था, संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। संग्रहालय के मुख्य कार्यकलाप हैं (i) कला वस्तुओं का प्रापण (ii) वीथियों और आरक्षित भण्डारों का पुनर्गठन (iii) पुस्तकालय और फोटोग्राफी इकाई को समृद्ध बनाना (iv) प्रकाशन/संग्रहालय संगोष्ठियाँ, प्रदर्शनियाँ और अन्य शैक्षिक कार्यकलाप भी आयोजित करता है। यह संग्रहालय एक संरक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से प्राचीन मूर्तियों, सिक्कों, चित्रों, पाण्डुलिपियों आदि के संरक्षण कार्यकलाप में भी लगा हुआ है। इलाहाबाद संग्रहालय आम जनता तथा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए सेमिनार, कार्यशालाएँ और प्रदर्शनियां भी आयोजित करता है।

11. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी (डीपीएल) : दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1951 में की गई थी और यह लाइब्रेरी संस्कृति मंत्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करती है। डी पी एल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लोगों को निःशुल्क पुस्तकालय एवं सूचना सेवाएं प्रदान करता है। डी पी एल का एक बड़ा नेटवर्क है जिसमें एक केंद्रीय पुस्तकालय, एक क्षेत्रीय पुस्तकालय, पटेल नगर, करोल बाग और शाहदरा में 3 शाखाएँ, 27 उप-शाखा पुस्तकालय, पुनर्वास कॉलोनिजों में 22 पुस्तकालय, 6 समुदाय पुस्तकालय, 9 वाचनालय, केंद्रीय जेल में एक ब्रेल पुस्तकालय और एक जेल पुस्तकालय, 25 स्थानों और 29 जमा केंद्रों की सेवा में लगी हुई दो सचल वैन हैं, जो दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की सेवा करने के लिए विभिन्न सोसाइटियों/एसोसिएशनों द्वारा संचालित की जाती हैं।

12. **राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान (आर आर आर एल एफ), कोलकाता** : संस्कृति मंत्रालय के तहत् पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त संगठन आर आर आर एल एफ की स्थापना मई 1972 में की गई थी। इस प्रतिष्ठान का उद्देश्य पुस्तकालय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत राज्य पुस्तकालय प्राधिकारियों, संघ राज्य क्षेत्रों तथा पुस्तकालय के क्षेत्र में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के सक्रिय सहयोग से समग्र देश में विशेषतः ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त पुस्तकालय सेवाएँ प्रदान करके तथा पठन आदत विकसित करके देश में सार्वजनिक पुस्तकालय आन्दोलनों को बढ़ावा देना तथा उनका समर्थन करना है। यह प्रतिष्ठान अनुरूपयोगी (मैचिंग) तथा गैर अनुरूपयोगी (नॉन-मैचिंग) स्कीमों के तहत् सहायता प्रदान करके समूचे देश में पुस्तकालय आंदोलन को प्रोत्साहित कर रहा है और पुस्तकालय सेवाओं को विकसित कर रहा है।

13. **केंद्रीय उच्चतर बौद्ध अध्ययन संस्थान (सी आई बी एस), लेह** : केंद्रीय बौद्ध अध्ययन संस्थान, लेह की स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। संस्थान का मुख्य उद्देश्य बौद्ध विचार एवं साहित्य की विद्वत्ता को मन में बिठाकर और आधुनिक विषयों से परिचित कराकर छात्रों के बहुपक्षीय व्यक्तित्व का विकास, बौद्ध अध्ययन से संबंधित दुर्लभ पांडुलिपियों का संकलन, अनुवाद, प्रकाशन और अनुसंधान कार्य करना है। सी आई बी एस, लेह को सम-विश्वविद्यालय का दर्जा देने संबंधी प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विचाराधीन है।

14. **केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान, वाराणसी (सी आई एच टी एस)** : केंद्रीय उच्चतर तिब्बती अध्ययन संस्थान की स्थापना तिब्बत तथा भारत के हिमालयी सीमा क्षेत्रों के युवाओं को शिक्षित करने के उद्देश्य से 1967 में की गई थी। यह संस्थान भारत सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित एक स्वायत्त निकाय है। संस्थान गत 40 से अधिक वर्षों से तिब्बती अध्ययनों में शिक्षा देता आ रहा है। संस्थान का अनुसंधान खण्ड तन्त्र, दर्शन, तर्क-विज्ञान, साहित्य, व्याकरण, तत्व-मिमांशा, टेक्सिकोग्राफी तथा विश्वकोश के क्षेत्र में मुख्य योगदान करता है।

15. **विक्टोरिया मेमोरियल हॉल** : समकालीन कला संग्रहालय सहित विक्टोरिया मेमोरियल हाल ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान के कला-इतिहास का चित्रण करने की अवधि के संगत सामग्री और ऑकड़े संग्रह करना जारी रखा। यह संग्रहालय गैर-भारतीय मूल के तैल-चित्रों के पुनरुद्धार की परियोजना के एक केंद्र के रूप में भी कार्य कर रहा है, जिसका समन्वयन राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है।

16. **भारतीय संग्रहालय** : संस्कृति मंत्रालय का एक स्वायत्त निकाय भारतीय संग्रहालय वीथियों के पुनर्गठन तथा नवीकरण तथा नृजातीय नमूनों तथा तकनीकी-सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक डाटा प्राप्त करने के कार्य में लगा है। इसमें कलावस्तुओं तथा मूर्तियों के अनेक प्राचीन संग्रह हैं। इस संग्रहालय में सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक खण्डों की छह वीथियां नामतः कला, पुरातत्व, मानव-विज्ञान,

भू-विज्ञान, प्राणि विज्ञान, तथा आर्थिक पादप-विज्ञान वीथियां हैं। इन वीथियों की अपनी-अपनी कलावस्तुएं, मूर्तियां, शिलालेख, सिक्के, टेराकोटा मूर्तियां, मिट्टी के बर्तन, चित्र, जनजातीय तथा सांस्कृतिक वस्तुएँ आदि हैं।

17. एशियाटिक सोसायटी, कोलकाता : 1784 में सर विलियम जोन्स द्वारा स्थापित एशियाटिक सोसायटी एक ऐसा अद्वितीय संस्थान है जिसने सभी साहित्यिक और वैज्ञानिक कार्यकलापों के एक मुख्य स्रोत के रूप में कार्य किया है। सरकार ने सोसाइटी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया है। सोसायटी अद्भूत एवं विविध विषयों के अनुसंधान में कार्यरत है। सोसायटी विभिन्न विषयों से संबंधित कार्यशालाएँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, प्रदर्शनियाँ, सेमिनार, व्याख्यान भी आयोजित करती है।

18. सालारजंग संग्रहालय : इस संग्रहालय को 1961 में राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। यह संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्णतः वित्तपोषित स्वायत्त निकाय है। यह संग्रहालय, ऐतिहासिक महत्व की कलावस्तुओं के संरक्षण, परिरक्षण, अधिग्रहण तथा प्रदर्शनियों, लोकप्रिय व्याख्यानों, वीथि वार्ताओं, सेमिनार आदि जैसे शैक्षिक कार्यकलापों में लगा हुआ है। संग्रहालय अपनी अंतर्वस्तुओं पर आधारित कई शैक्षिक व सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के अतिरिक्त आगंतुक जनता के लिए अपने कला संग्रह का प्रदर्शन करने में लगा हुआ है।

19. खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, : खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, पटना राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था है, जो संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित है। पुस्तकालय का प्रबंधन एक स्वायत्त बोर्ड द्वारा किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता बिहार के राज्यपाल करते हैं। यह अनिवार्य रूप से एक शोध उन्मुख संस्था है, जिसमें मुख्यतया विभिन्न प्राचीन भाषाओं में दुर्लभ मूल्य की 20,615 पांडुलिपियाँ हैं और पत्रिकाओं सहित 2,75,000 मुद्रित पुस्तकें हैं तथा मुगल, राजपूत एवं अवध, इरानी एवं तुर्की के 2000 से अधिक मूल एवं प्राचीन चित्र हैं। अधिग्रहण, प्रलेखन तथा अनुसंधान कार्यकलापों के अपने नियमित कार्य के अलावा, इस लाइब्रेरी ने पाण्डुलिपियों के सूचीपत्र तथा अपने विपुल पुस्तकालय संग्रह के कम्प्यूटरीकरण का कार्य शुरू किया है।

20. रामपुर रजा पुस्तकालय, रामपुर : रामपुर रजा पुस्तकालय के पास अरबी, फारसी, संस्कृत, हिंदी, तमिल, पश्तो, उर्दू, तुर्की तथा अन्य भाषाओं की पांडुलिपियों का अनूठा संग्रह मौजूद है। इसके पास मंगोल, मुगल, ईरानी, राजपूत, कांगड़ा, अवध और कंपनी शैली से संबंधित लघुचित्रों का एक समृद्ध संग्रह है और इसने बहुमूल्य लोहारु संग्रह प्राप्त किया है। पुस्तकालय के पास लगभग 20,000 पांडुलिपियों, 80,000 मुद्रित पुस्तकों, लगभग 5,000 लघुचित्रों और भोज पत्रों इत्यादि का संग्रह मौजूद है। इसके पास मध्य एशिया, इरान और भारत के प्रमुख सुलेखकों के 3000 नमूनों का समृद्ध संग्रह भी है।

21. कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान : कलाक्षेत्र प्रतिष्ठान को श्रीमती रुक्मिणी देवी अरुंडले ने विशेषतः नृत्य और संगीत के क्षेत्रों में परंपरागत मूल्यों के संरक्षण के लिए एक सांस्कृतिक अकादमी के रूप में वर्ष 1963 में अन्तरराष्ट्रीय प्रसिद्धि के एक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में किया गया था। इस संस्थान का स्वीकृत उद्देश्य एक ओर सभी कलारूपों और उनके क्षेत्रीय रूपभेदों का समाकलन करना और भारतीय संस्कृति के प्राचीन वैभव को पुनर्जीवित करना और दूसरी ओर सच्ची कला के मानदंड निर्धारित करना है।

22. राष्ट्रीय कला इतिहास संरक्षण एवं संग्रहालय विज्ञान संस्थान : संस्कृति मंत्रालय के तहत पूर्णतः वित्तपोषित इस स्वायत्त संस्थान की स्थापना एक सोसायटी के रूप में की गई थी और इसे 1989 में सम-विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। यह कला, इतिहास, कलावस्तुओं के संरक्षण तथा पुनरुद्धार के विशिष्ट क्षेत्र में तथा संग्रहालय तथा पुरातत्वीय स्थलों में उनके प्रदर्शन तथा रखरखाव में शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करने वाला मूलतः एक शैक्षिक संस्थान है। संस्थान विभिन्न विषयों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम तथा पीएच.डी पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह सामग्री संग्रहणायता/ तकनीकी विशेषज्ञता एवं सुविधाओं को शेयर करने के उद्देश्य से सांस्कृतिक संपदा से संबंधित करने वाले अन्य राष्ट्रीय संस्थानों के साथ सहयोग करता है।

23. नव नालंदा महाविहार : नव नालंदा महाविहार (नालंदा सम विश्वविद्यालय) बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षा के सिद्धांत, जो प्राचीन नालंदा महाविहार में शिक्षा देने का मुख्य विषय था, पर आधारित संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्तशासी संगठन है। नालंदा महाविहार में सामान्यतः बौद्ध शिक्षा परियत्ति (सिद्धांत), पतिपत्ति (प्रयोग) और प्रतिवेदन (अनुभव) की पुरानी बौद्ध अवधारणा का अनुसरण करते हुए सिखाया और अभ्यास कराया जाता था, जिससे सांसारिक और परासांसारिक दोनों क्षेत्र में ज्ञान अर्जित हो। वर्तमान में महाविहार, पाली में बी.ए. प्रतिष्ठा (आनर्स) में एक वर्षीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम और दो वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम तथा पाली, दर्शन, प्राचीन इतिहास, संस्कृति एवं पुरातत्व, बौद्ध अध्ययन, तिब्बती अध्ययन, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, चीनी एवं जापानी और बौद्ध एवं भाषा में एम.ए. पाठ्यक्रम चलाता है। पी.एच.डी डिग्री प्रदान करने वाले पाठ्यक्रम भी चलाए जाते हैं। इसके अलावा, महाविहार डिक्शनरी परियोजना और नालंदा परियोजना के मानचित्रण से संबंधित स्कीमों/कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करता है। यह महाविहार सांस्कृतिक ग्राम और युवानजंग स्मारक संग्रहालय का अनुरक्षण भी करता है।

24. मौलाना अबुल कलाम एशियाई अध्ययन संस्थान (एम ए के ए आई) : 1993 में स्थापित यह संस्थान संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। एम ए के ए आई 19वीं शताब्दी के मध्य से एशिया में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक और आर्थिक विकास (भारत के साथ उनके संपर्कों पर विशेष जोर सहित) के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और कृतियों के शोध और प्रशिक्षण का केंद्र है। संस्थान ने अब अपने अध्ययन के क्षेत्र को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, दक्षिणपूर्व एशिया और चीन में फैलाना शुरू

किया है। संस्थान को 5, अशरफ अली मिस्त्री लेन, कोलकाता स्थित भवन में मौलाना आजाद मेमोराबिलिया संग्रहालय में शिफ्ट किया गया है, जहाँ अंतिम समय में मौलाना आजाद ठहरे थे।

25. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र : आई जी एन सी ए की स्थापना 1987 में एक स्वायत्त न्यास के रूप में हुई थी। इस केंद्र की स्थापना, सभी कलाओं का अध्ययन और अनुभव को प्रत्येक रूप की अपनी अखंडता के साथ, फिर भी परस्पर अन्तर्निर्भरता के आयाम के साथ शामिल करना है। आई जी एन सी ए कला और मानविकी के क्षेत्र में स्रोत सामग्री और मूल शोध के संग्रह के कार्यक्रमों के माध्यम से विज्ञान के अनुशासनों, भौतिक और पदार्थ तत्वमीमांसा, मानव-विज्ञान और समाजशास्त्र के साथ अन्तः संबंध को मजबूत करना चाहता है। अकादमिक कार्यक्रम का संचालन करने और केंद्र के प्रशासनिक व्यय को पूर्ण करने के लिए निधियाँ ब्याज और अक्षय निधि से ली जाती हैं। इसकी चुनिंदा परियोजनाओं/स्कीमों और इसकी भवन परियोजनाओं के लिए केंद्र को निधियाँ भी आबंटित की गई हैं।

26. क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र : क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की संकल्पना को क्षेत्रीय सीमाओं से आगे सांस्कृतिक संबंधों का प्रसार करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया गया है। इसका लक्ष्य, स्थानीय संस्कृतियों के प्रति जागरूकता पैदा करना और उसको बढ़ाना है तथा साथ ही यह दिखाना है कि ये संस्कृतियाँ किस प्रकार पहले क्षेत्रीय पहचानों में और अन्ततः भारत की सामासिक संस्कृति की समृद्ध विविधता में समाविष्ट हो जाती हैं। इन केन्द्रों ने स्वयं को समग्र देश में संस्कृति के संवर्धन, परिरक्षण तथा प्रसार के क्षेत्र में एक प्रमुख एजेंसी के रूप में स्थापित कर लिया है। मंच कलाओं का संवर्धन करने के अलावा, ये केन्द्र साहित्यिक तथा दृश्य कलाओं के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय योगदान दे रहे हैं। इस स्कीम के तहत स्थापित सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र हैं : (i) उत्तर क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, पटियाला; (ii) पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, कोलकाता; (iii) दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, तंजापुर; (iv) पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र उदयपुर; (v) उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, इलाहाबाद; (vi) उत्तर-पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, दिमापुर; और (vii) दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, नागपुर। सांस्कृतिक केन्द्रों के सांस्कृतिक सम्पर्क के अनुरूप एक से अधिक क्षेत्रीय सांस्कृतिक क्षेत्र में विभिन्न राज्यों की सहभागिता, क्षेत्रीय केन्द्रों की संरचना की एक मुख्य विशेषता है। ये क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र प्रमुख स्कीमों जैसे राष्ट्रीय सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम, लुप्त हो रहे कला-रूपों का प्रलेखन, रंगमंच सुदृढीकरण, गुरु-शिष्य परम्परा, शिल्पग्राम, भागीदारी तथा गणतन्त्र दिवस लोक नृत्य उत्सव (लोक तरंग) और शिल्प मेला के आयोजन के कार्यान्वयन में कार्यरत हैं।

27. राष्ट्रीय संस्कृति निधि (एन सी एफ) : एन सी एफ की स्थापना धर्मार्थ अक्षयनिधि अधिनियम, 1890 के अंतर्गत भारत सरकार के दिनांक 28 नवंबर, 1996 की गजट अधिसूचना जारी करने के माध्यम से की गई थी। एन सी एफ की स्थापना भारत की

सांस्कृतिक विरासत, मूर्त और अमूर्त दोनों के संवर्धन, संरक्षण और परिरक्षण के प्रयास में निगमित क्षेत्र, गैर-सरकारी संगठनों, राज्य सरकार, निजी/सार्वजनिक क्षेत्र और व्यक्तियों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। एन सी एफ सक्रिय रूप से अमूर्त विरासत के सभी पहलुओं से संबंधित कार्यकलापों को सहायता करती है। यह कुछेक चुनिंदा क्षेत्रों में अन्यो के साथ-साथ रामकृष्ण मिशन, ज्ञान-प्रवाह, रमण महर्षि केंद्र, मनन, किष्किन्धा न्यास जैसे संगठनों के साथ सक्रिय सहयोग से कार्य कर रही है। एन सी एफ हमारे देश की समृद्ध और विविध अमूर्त विरासत के उद्देश्य को बढ़ाने में प्रोत्साहन प्रदान करता है तथा सहभागिता तथा सहयोग को आमंत्रित करता है।

मंत्रालय की स्कीमें/अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम

इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और स्वायत्त संगठनों के माध्यम से किए जाने वाले कार्यकलापों के अतिरिक्त वर्तमान में 26 सहायता-अनुदान स्कीमें हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा सीधे कार्यान्वित किया जाता है जिनमें 11वीं योजना के दौरान अनुमोदित नई स्कीमें तथा साथ ही मंत्रालय द्वारा की गई एम.टी.ए कवायद में प्रस्तावित नई स्कीमें शामिल हैं। सहायता-अनुदान वित्तीय सहायता के रूप में उन स्वैच्छिक सांस्कृतिक संगठनों/व्यक्तियों को वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है, जो कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। ये स्कीम इस प्रकार हैं :-

संस्कृति मंत्रालय की जारी केन्द्रीय क्षेत्र स्कीमें -

मंच कला क्षेत्र

- . सांस्कृतिक संगठनों के लिए भवन अनुदान की स्कीम।
- . विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं के लिए व्यावसायिक समूहों और व्यक्तियों को वित्तीय सहायता।
- . मंच, साहित्य और प्लास्टिक कलाओं के क्षेत्र में प्रतिभाशाली कलाकारों को वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति।
संस्कृति से संबंधित नए क्षेत्रों में वरिष्ठ/कनिष्ठ अध्येतावृत्ति।
- . साहित्य, कला तथा जीवन के ऐसे अन्य क्षेत्रों के विशिष्ट व्यक्तियों, जो दीनहीन परिस्थितियों में रह रहे हों, तथा उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता।
- . राष्ट्रीय कलाकार कल्याण निधि का गठन
- . सांस्कृतिक कार्यकलापों में कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को शोध सहायता (सांस्कृतिक समारोह

अनुदान स्कीम)।

- . राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक संगठनों को वित्तीय सहायता।
- . बाल परिसरों सहित बहुउद्देश्यीय सांस्कृतिक परिसरों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता (इस स्कीम को केंद्रीय स्कीम के रूप में पुनःनिर्धारित किया जा रहा है।)
- . अमूर्त विरासत और सांस्कृतिक विविधता (यूनेस्को सम्मेलन से उद्भूत) के क्षेत्र में सुरक्षा तथा अन्य निरोधात्मक उपायों के लिए स्कीम।
- . सांस्कृतिक विरासत स्वयंसेवक स्कीम (सी.एच.वी)
- . सांस्कृतिक उद्योगों के लिए पायलट स्कीम
- . सांस्कृतिक संसाधन प्रबंधन केंद्र।
- . संस्कृति मंत्रालय के अधीन ज्ञान संस्थानों में तन्य नियुक्ति के लिए विद्वानों को फेलोशिप (“टैगोर राष्ट्रीय सांस्कृतिक स्रोत अध्येतावृत्ति” के रूप में पुनः नामित)।
- . राष्ट्रीय मंच कला केंद्र की स्थापना।

अभिलेखागार एवं अभिलेखीय पुस्तकालय :-

- . राष्ट्रीय सांस्कृतिक दृश्य-श्रव्य सामग्री अभिलेख की स्थापना।

संग्रहालय क्षेत्र

- . क्षेत्रीय तथा स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन और सुदृढीकरण।
- . महानगरों में संग्रहालयों के आधुनिकीकरण के लिए स्कीम।

बौद्ध और तिब्बतीय संस्थान क्षेत्र

- . हिमालय की सांस्कृतिक विरासत का परिरक्षण और विकास।
- . बौद्ध/तिब्बती संस्कृति और कला का परिरक्षण और विकास।

सार्वजनिक पुस्तकालय क्षेत्र

- . पुस्तकालयों के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन की स्थापना, जिससे आयोग का निर्माण किया जा सके।
- . विदेश में भारतीय साहित्य।
- . भारतीय संस्कृति और विरासत के बारे में संवर्धन और प्रसार के लिए योजना स्कीम (पुस्तक मेले/पुस्तक प्रदर्शनियां और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले/प्रकाशन समारोह आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम जिसे वर्ष 2011-12 में शुरू किया गया था और 12वीं योजना में इसका विलय कर दिया गया है)।

अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक संबंध :-

- . अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रमलाप और भारत - मैत्री सोसाइटियों को अनुदान।

शताब्दियां और स्मारक

- . जलियाँबाला बाग स्मारक का विकास।

बंद की गई/स्थानांतरित/बिलयित स्कीमें :-

- . जनजातीय/लोक कला एवं संस्कृति के संवर्धन और प्रसार के लिए वित्तीय सहायता

➤ केन्द्रीय योजना स्कीमों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2008-09 के दौरान संस्कृति के पूर्व सचिव श्री भास्कर घोष की अध्यक्षता में तीन सदस्यों की एक समिति गठित की गयी थी। समिति की रिपोर्ट पर मौजूदा स्कीम के समीक्षात्मक मूल्यांकन के पश्चात इस स्कीम को बंद कर दिया गया है।

- . मानवता की अमूर्त विरासत के संवर्धन और परिरक्षण के लिए वित्तीय सहायता

➤ क्योंकि इसी संभावना और उद्देश्य की उपर्युक्त स्कीम पूर्व में संगीत नाटक अकादमी द्वारा संचालित की जाती थी। इसलिए इसे वर्ष 2008-09 से संगीत नाटक अकादमी को स्थानांतरित कर दिया गया है।

. बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आई.पी.आर.) के क्षेत्र में जागरूकता सृजन और रचनात्मक कलाकारों और कारिगरों के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार प्रकोष्ठ का गठन।

➤ भास्कर समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2008-09 से इस स्कीम को बंद कर दिया गया है, क्योंकि ऐसी ही स्कीम वाणिज्य मंत्रालय में संचालित की जा रही है।

“भारतीय संस्कृति विरासत के बारे में संवर्धन और प्रसार जागरूकता” के लिए एक योजना स्कीम जिसमें पुस्तक मेले, पुस्तक प्रदर्शनियां और अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेलों/प्रकाशन कार्यों आदि में भागीदारी के लिए वित्तीय सहायता 1 संघटक के रूप में शामिल है।

12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के लिए नई स्कीमें

इन स्कीमों के अलावा, मंत्रालय ने 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2 स्कीमों सहित 21 नई योजना स्कीमों का प्रस्ताव किया है और 7 नई स्कीमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा कार्यान्वित की जानी हैं, जिसमें 2 केन्द्रीय प्रयोजित स्कीमे शामिल हैं।

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

- . राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, महाविद्यालयों और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विरासत संस्थानों द्वारा स्मारकों के संरक्षण, परिरक्षण और पर्यावरणीय विकास तथा पुरातात्विक स्थलों के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम।
- . पुरातात्विक अन्वेषण और खनन के लिए केन्द्रीय प्रयोजित स्कीम।
- . यूनेस्को श्रेणी II क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की स्कीम।
- . असुरक्षित विरासत भवनों/स्मारकों/पुरातात्विक स्थलों और एतिहासिक इमारतों के संरक्षण, परिरक्षण और विकास के लिए स्कीम।

- . केन्द्रीय, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व एशिया के विद्वानों के लिए पांच गैर भारतीय अतिथि अध्येतावृत्तियों और भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के 150 वर्ष समारोह के भाग के रूप में युवा भारतीय पुरातत्ववेत्ताओं के लिए 10 अध्येतावृत्तियों के गठन की स्कीम।
- . सांस्कृतिक विरासत प्रबंधन परिषद के सृजन की स्कीम।
- . सांस्कृतिक विरासत पर्यटन संबंधी सूचना के सांस्कृतिक विरासत संसाधनों के मानचित्रण और प्रसार की स्कीम।

संस्कृति मंत्रालय

- . राष्ट्रीय/राज्य नाट्य विद्यालयों के गठन की स्कीम।
- . कला और संस्कृति संबंधी दूरदर्शन कार्यक्रमों के लिए स्कीम।
- . राज्य अकादमियों के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . उत्कृष्ट केन्द्रों के गठन की स्कीम।
- . कोलकाता और चेन्नई में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के गठन की स्कीम।
- . भारतीय सांस्कृतिक जीवंत और विविध भारतीय सांस्कृतिक परम्पराओं को बनाए रखने के लिए स्कीम।
- . भारतीय संस्कृति और विरासत को समर्पित पत्रिकाओं और जर्नलों के प्रकाशन के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . संस्कृति मंत्रालय के अधीन सहायता अनुदान स्कीम के एम.आई.एस. और स्वचलन की स्कीम।
- . वेनिस द्विवार्षिकी पर भारत के स्थायी राष्ट्रीय मंडप।
- . बड़े पैमाने पर संग्रहालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) के लिए स्कीम।
- . इंटरनेट पर मौजूद संग्रहालय संग्रहों की सूची और छवियां बनाने के लिए संग्रहालय संग्रहों के डिजिटीकरण के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . संग्रहालय व्यवसायिकों के लिए क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण स्कीम।

- . संग्रहालय संबंधी विषयों के लिए प्रबंधन पाठ्यक्रमों और अन्य अतिरिक्त अकादमी सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . राष्ट्रीय विरासत स्थल आयोग की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . प्रस्तावित राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण को वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . केन्द्रीय सांस्कृतिक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता की स्कीम।
- . मानव विज्ञान के क्षेत्र में शोध परिणामों के दस्तावेजीकरण और प्रसार के लिए राज्य सरकारों, संस्थानों और संगठनों को सहायता।
- . बौद्ध दर्शन उच्च अध्ययन विद्यालय, टैबो (हिमाचल प्रदेश) का गठन।
- . सांस्कृतिक विषयों संबंधी सेमिनारों, उत्सवों और प्रदर्शनियों के लिए विदेश जाने वाले कलाकारों और सांस्कृतिक व्यावसायिकों के लिए वित्तीय सहायता।
- . अध्ययन और/अथवा नृत्य, संगीत, नाटक जैसे किसी रूप में भारतीय संस्कृति को सीखने की इच्छा रखने वाले विदेशी कलाकारों को वित्तीय सहायता की स्कीम।

उपर्युक्त स्कीमों के अलावा संस्कृति मंत्रालय निम्नलिखित योजना स्कीमों में भी संचालित करता है :

राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन : राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन की स्थापना फरवरी, 2003 में की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य पूरे देश की बहुमूल्य पांडुलिपियों के कैटेलॉग बनाना, उन्हें संरक्षित करना और उनको संग्रह करना है। मिशन ने पांडुलिपि संसाधन केंद्रों और संरक्षण केंद्रों के नेटवर्क की पहले ही स्थापना कर दी है। मंत्रालय निम्नलिखित संस्थानों/संगठनों को योजना सहायता अनुदान भी प्रदान करता है :

- . तंजावुर महाराजा सरफोजी सरस्वती महल पुस्तकालय, तंजावुर।
- . एशियाटिक सोसायटी, मुम्बई।
- . पाण्डुलिपियों के परिरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग।
- . तवांग मठ।
- . नामग्याल तिब्बती विद्या-शास्त्र संस्थान, सिक्किम।
- . तिब्बती कृति एवं अभिलेख पुस्तकालय, धर्मशाला।
- . वृंदावन अनुसंधान संस्थान।
- . केन्द्रीय पुस्तकालय मुम्बई।
- . कोन्नेमारा पुस्तकालय।
- . तिब्बती भवन।

उपर्युक्त स्कीमों के अलावा संस्कृति मंत्रालय की शताब्दियां एवं वर्षगांठ, (विशेष प्रकोष्ठ द्वारा कार्यान्वित), गांधी शान्ति पुरस्कार, भारत महोत्सव; राष्ट्रीय स्मारकों का विकास एवं अनुरक्षण; सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिनिधिमंडल जैसी स्कीमें हैं। इसके अलावा, शंकर अन्तर्राष्ट्रीय बाल प्रतियोगिता; पुस्तकों और कला वस्तुओं की प्रस्तुति; साहित्यिक कार्यकलापों में लगे हुए संस्थानों/व्यक्तियों; खालसा विरासत परियोजना; गुरु-ता-गद्दी; विश्व विरासत निधि के लिए अंशदान; यूरेस्को के लिए अंशदान; अंतर्राष्ट्रीय कला संघ और परिषदों तथा सांस्कृतिक एजेंसियों (आई.एफ.ए.सी.सी.ए.) को अंशदान; कुशल कलाकारों को यात्रा अनुदान; जी.आर.एल., मोनास्टिक मठिए विद्यालय, बामदिला; विश्व बंधुत्व के लिए टैगोर पुरस्कार।

उपर्युक्त कार्यक्रमों/स्कीमों के अलावा मंत्रालय अन्य परियोजनाएं/स्कीम जैसे रबीन्द्र नाथ टैगोर की 150वीं जयंती महोत्सव, स्वामी विवेकानंद के 150वीं जयंती महोत्सव, अहमदाबाद और करमसाद में सरदार बल्लभ भाई पटेल स्मारकों का विकास, राजेन्द्र प्रसाद स्मारक का विकास एवं उन्नयन और राष्ट्रीय गांधी विरासत स्थल आयोग, मदन मोहन मालवीय की 150वीं जयंती महोत्सव आदि कार्यान्वित करता है।

डा. नरेन्द्र जाधव, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एससीएसपी तथा टीएसपी संबंधी विशेष कार्यबल की 27.10.2010 को आयोजित बैठक में यह निर्णय किया गया कि संशोधित मानदण्ड के अनुसार संस्कृति मंत्रालय सहित कतिपय मंत्रालय/विभागों का एससीएसपी के तहत योजनागत निधियां उद्दिष्ट करने का कोई दायित्व नहीं है। जहां जत टीएसपी का संबंध है, मंत्रालय, इसके कतिपय चुनिंदा संगठनों/स्कीमों के तहत वर्ष 2011-12 में अपने योजनागत आबंटन में से 2 प्रतिशत उद्दिष्ट करेगा।

जहां तक अनन्य रूप से महिलाओं के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम अलग रखने का संबंध है, कला व संस्कृति के विभिन्न क्षेत्रों में उनके लाभ प्रवाह का मूल्यांकन करना काफी कठिन प्रतीत होता है। हालांकि महिलाओं के प्रबंधन कौशल में सुधार करने में सांस्कृतिक प्रशासन हेतु उनके पर्याप्त योगदान को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन मौजूदा संस्थागत प्रणाली से विभिन्न सांस्कृतिक क्षेत्रों में सुविधाओं, लाभार्थियों तथा महिलाओं में ऐसी कोई स्कीम/कार्यक्रम नहीं है जो अनन्य रूप से केवल महिलाओं के लिए हो। तथापि, कुछेक केन्द्रीय स्कीमों नामत क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र (जेडसीसी) तथा 'कला व संस्कृति के संवर्धन व प्रसार शीर्ष के तहत सीधे चलाई जा रही' "विशिष्ट मंच कला परियोजनाओं हेतु व्यावसायिक समूहों व व्यक्तियों को वित्तीय सहायता" के तहत वार्षिक महिला विशिष्ट बजट के लिए अनंतिम और मोटे तौर पर योजनागत निधियों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है।